

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति  
स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

क्रमांक: एफ.29(39)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/परिपत्र/2010/५६५ से २५४३ दिनांक: २८/५/१०

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वर्ष 2010-11 के बिन्दु संख्या-42 में उल्लेखित वृद्धावस्था पेंशनरों के अतिरिक्त अन्नपूर्णा योजना (भारत सरकार) के तहत लाभान्वित वरिष्ठ नागरिक तथा बीपीएल सूची से बाहर अन्त्योदय अन्न योजना (राजस्थान सरकार) में चयनित सहरिया परिवार को भी मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से लाभ दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बंध में निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित परिवार/व्यक्ति के अन्त्योदय अन्न योजना परिवार राशन कार्ड/अन्नपूर्णा योजना अधिकारिता कार्ड के आधार पर उनको निःशुल्क ईलाज दिया जावें तथा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित मरीजों का श्रेणीवार विवरण संधारित करें। उपरोक्त लाभार्थियों के सम्बंध में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया सम्बन्धित जिले के जिला रसद अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उक्त श्रेणीयों के मरीज को, राशन/अधिकारिता कार्ड गुम अथवा नष्ट होने पर भी ईलाज की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावें। परन्तु, संबंधित मरीज का नाम, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग से जारी सूची से मिलान कर लिया जावें तथा ईलाज के दौरान (डिस्चार्ज से पूर्व) सम्बन्धित मरीज का कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त कर, भर्ती कार्ड के साथ लगाया जावें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,  
( बी. एन. शर्मा )  
प्रमुख शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त/चिकित्सा शिक्षा/नागरिक आपूर्ति/सामाजिक न्याय/जनजाति विकास मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम./परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी.
5. समस्त सम्बागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. समस्त सम्बागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य/पक/एड्स/आईईसी)/परियोजना निदेशक, (एमएमजेआरके/एनआरएचएम)
8. समस्त प्रधानाचार्य एंव नियंत्रक, मेडिकल कालेज, राजस्थान।
9. समस्त अधीक्षक, सलंगन चिकित्सालय संघ, राजस्थान।
10. समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चि. एंव खा. अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
12. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
13. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/खण्ड कार्यक्रम प्रबन्धक।
14. सेन्टर सर्वर रूम/रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड

२८/५/१०  
मिशन निदेशक  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन